उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
14 – अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ – 226001
U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD
(U.P. Govt. Undertaking)
14- ASHOK MARG, SHAKTI BHAWAN, LUCKNOW-226001
CIN: U40101UP1980SGC005065

संख्याः261–उनिलि / रिफार्म / विनियम(सेवक परिवीक्षा):183.14 / 2019 दिनांकः 19 अक्टूबर 2019

कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के निदेशक मण्डल की दिनांक 26.09.2019 को सम्पन्न 183वीं बैठक में एजेण्डा संख्या–183.14 पर लिये गये निर्णय के अनुपालन में ***उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली–2013*** (शासनादेश संख्या:14 / 13 / 2 / 1997–का–1–2013 दिनांक 30.12.2013) तथा ***उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परिवीक्षा (प्रथम संशोधन) नियमावली–2016*** (शासनादेश संख्या:1 / 2016 / 13 / 2 / 1997–का / 1–2016 दिनांक 17.02.2016) की व्यवस्थाओं को उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 की सेवाओं के परिपेक्ष्य में यथावत् लागू किया जाता है।

2– उपरोक्तानुसार संशोधित व्यवस्थायें तत्काल प्रभाव, अर्थात आदेश निर्गमन की तिथि से प्रभावी होगी। उपरोक्त के फलस्वरूप तत्संगत सेवा विनियमावलियों के प्राविधान तथा इस विषय में पूर्व में निर्गत आदेश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

संलग्नक–यथोपरि।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्याः261–उनिलि / रिफार्म / विनियम(सेवक परिवीक्षा):183.14 / 2019 तद्दिनाँक ।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0 / परियोजना एवं वाणिज्य / तकनीकी / वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ, के निजी सचिव / स्टाफ ऑफिसर।
4. मुख्य अभियन्ता एवं परियोजना प्रमुख, अनपरा / ओबरा / पारीछा / पनकी / हरदुआगंज ताप विद्युत गृह, सोनभद्र, सोनभद्र, झाँसी, कानपुर, अलीगढ़।
5. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–1 एवं 2), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि., शक्ति भवन, लखनऊ।
6. अध्यक्ष, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. अधिशाषी निदेशक (वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. कंपनी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को निदेशक मण्डल की दिनांक 26.09.2019 को सम्पन्न 183वीं बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा आइटम संख्या–183.14 के संदर्भ में।
9. अधीक्षण अभियन्ता (मा0सं0–01 / 03 / 04 / 05) / उप महाप्रबन्धक (मा0सं0–02) / अधीक्षण अभियन्ता (प्रशिक्षण इकाई) / उप महाप्रबन्धक (औ0सं0), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. अधीक्षण अभियन्ता (रिफॉर्म), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

क्रमशः.........2 / –

11. मुख्य परियोजना प्रबन्धक (प्रगति) टी0 सी0–46/वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
12. कट फाइल।

(तरूण कुमार जैन)
अधिशाषी अभियन्ता (रिफार्म)

उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग-1
संख्या-14/13/2/1997-का-1-2013
लखनऊ :: दिनांक 30 दिसम्बर, 2013

दिनांक 30 दिसम्बर, 2013 को प्रख्यापित "उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली, 2013" की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश।
5. महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश।
6. प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
7. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
8. सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
9. मीडिया सलाहकार, मा0 मुख्यमंत्री जी।
10. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश।
11. वेब मास्टर/वेब अधिकारी, नियुक्ति विभाग, उ0प्र0 शासन को नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने के प्रयोजनार्थ प्रेषित।
12. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
ह0/-
(योगेश चन्द्र)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग-1
संख्या-14/13/2/1997-का-1-2013
लखनऊ :: दिनांक 30 दिसम्बर, 2013

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद, 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली, 2013

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना **1.** (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली, 2013 कही जायेगी ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

(3) यह उन सभी व्यक्तियों पर लागू होगी जो उत्तर प्रदेश के कार्य-कलापों के सम्बंध में कोई सिविल पद धारण करते हों और जो संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल के नियम बनाने के नियंत्रणाधीन हों ।

अध्यारोही प्रभाव **2.** इस नियमावली के उपबन्ध संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल द्वारा बनाए गए किन्हीं अन्य नियमों या तत्समय प्रवृत्त आदेशों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे ।

परिभाषाएं **3.** जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में,

(क) किसी पद या सेवा के सम्बंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य सुसंगत सेवा नियमावली या सरकार द्वारा जारी किए गए कार्यपालक अनुदेशों के अधीन ऐसे पद पर या सेवा में नियुक्ति करने के लिए सशक्त प्राधिकारी से है;

(ख) "संविधान" का तात्पर्य "भारत का संविधान" से है;

(ग) "संवर्ग" का तात्पर्य किसी सेवा की या पृथक इकाई के रूप में स्वीकृत, सेवा के किसी भाग की सदस्य संख्या से है;

(घ) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है;

(ड.) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;

http://shasanadesh.up.nic.in

(च) "सरकारी सेवक" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य के कार्य-कलापों के सम्बंध में किसी लोक सेवा या पद पर नियुक्त किसी व्यक्ति से है;

(छ) "सेवा" का तात्पर्य सुसंगत सेवा नियमावली या सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए कार्यपालक अनुदेशों में यथा परिभाषित सेवा से है;

(ज) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गई हो, और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किए गए कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गई हो।

परिवीक्षा, जहां आवश्यक हो

4. **(1)** सीधी भर्ती के माध्यम से, किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जाएगा। नियुक्ति प्राधिकारी, व्यक्तिगत मामलों में, अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से वह दिनांक, जब तक के लिये अवधि बढ़ाई जाय, विनिर्दिष्ट करते हुए परिवीक्षा अवधि का बढ़ा सकता है:

परन्तु यह कि, आपवादिक स्थितियों को छोड़कर परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जाएगी और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नही बढ़ाई जाएगी।

(2) भर्ती के स्रोतों में से एक यदि सीधी भर्ती है, तो पदोन्नति द्वारा किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जाएगा। नियुक्ति प्राधिकारी, व्यक्तिगत मामलों में, अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से वह दिनांक, जब तक के लिये अवधि बढ़ाई जाय, विर्निदिष्ट करते हुए परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है:

परन्तु यह कि, आपवादिक स्थितियों को छोड़कर परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जाएगी और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नही बढ़ाई जाएगी।

(3) सुसंगत सेवा नियमावली में विहित प्रक्रिया के अनुसरण में किसी पद पर समायोजन, आमेलन या संविलियन द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को एक वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जाएगा। नियुक्ति प्राधिकारी, व्यक्तिगत मामलों में, अभिलिखित

http://shasanadesh.up.nic.in

किये जाने वाले कारणों से वह दिनांक, जब तक के लिये अवधि बढ़ाई जाय, विनिर्दिष्ट करते हुए परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है:

परन्तु यह कि, आपवादिक स्थितियों को छोड़कर परिवीक्षा अवधि छः माह से अधिक नहीं बढ़ाई जाएगी और किसी भी परिस्थिति में एक वर्ष से अधिक नही बढ़ाई जाएगी।

(4) जहां भर्ती का स्रोत केवल पदोन्नति है, किसी पद पर, यदि पद भिन्न सेवा या समूह का है, मौलिक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति को एक वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जाएगा। नियुक्ति प्राधिकारी, व्यक्तिगत मामलों में, अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से वह दिनांक, जब तक के लिये अवधि बढ़ाई जाय, विनिर्दिष्ट करते हुए परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है:

परन्तु यह कि, आपवादिक स्थितियों को छोड़कर, परिवीक्षा अवधि छः माह से अधिक और किसी भी परिस्थिति में एक वर्ष से अधिक नही बढ़ाई जाएगी।

परिवीक्षा, जहां आवश्यक न हो — **5.** किसी व्यक्ति को परिवीक्षा पर रखना आवश्यक न होगा यदि उसे उसी समूह के किसी पद पर, जहां भर्ती का स्रोत केवल पदोन्नति है, विहित प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात् नियमित आधार पर पदोन्नत किया गया है।

पद, जिन पर यह नियमावली लागू न होगी — **6.** यह नियमावली वहां नहीं लागू होगी जहां नियुक्तियां ऐसे अधिष्ठानों के अधीन पदों पर की गई हों, जिनका सृजन एक निश्चित एवं पूर्णतः अस्थायी अवधि के लिये किया गया है, यथा-समितियां, जांच आयोग, आपात विशेष से निपटने के लिये सृजित किये गए संगठन, जिनके कुछ वर्षो से अधिक बने रहने की आशा नही है, विनिर्दिष्ट अवधि हेतु परियोजनाओं के लिये सृजित पद और पूर्णतः अस्थायी संगठन।

आज्ञा से,
ह0/-
(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

उत्तर प्रदेश शासन

कार्मिक अनुभाग-1

संख्या-1/2016/13/2/1997-का-1-2016

लखनऊ :: दिनांक 17 फरवरी, 2016

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद, 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, "उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली, 2013" में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परिवीक्षा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2016

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) यह नियमावली "उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परिवीक्षा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2016" कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 4 का प्रतिस्थापन 2. "उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली, 2013" में जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम 4 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

	स्तम्भ-1 विद्यमान नियम		स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
परिवीक्षा जहां आवश्यक हो	4-(1) सीधी भर्ती के माध्यम से, किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा। नियुक्ति प्राधिकारी, व्यक्तिगत मामलों में, अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से वह दिनांक, जब तक के लिए अवधि बढ़ाई	**परिवीक्षा जहां आवश्यक हो**	4-(1) सीधी भर्ती के माध्यम से, किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा। नियुक्ति प्राधिकारी, व्यक्तिगत मामलों में, अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से वह दिनांक, जब तक के लिए अवधि बढ़ाई

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

जाय, विनिर्दिष्ट करते हुए परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है ;	जाय, विनिर्दिष्ट करते हुए परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है ;
परन्तु यह कि, आपवादिक स्थितियों को छोंड़कर परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी।	परन्तु यह कि, आपवादिक स्थितियों को छोंड़कर परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी।
(2) भर्ती के स्रोतों में से एक यदि सीधी भर्ती है, तो पदोन्नति द्वारा किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा। नियुक्ति प्राधिकारी, व्यक्तिगत मामलों में, अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से वह दिनांक, जब तक के लिये अवधि बढ़ाई जाय, विनिर्दिष्ट करते हुये परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है ;	(2) भर्ती के स्रोतों में से एक यदि सीधी भर्ती है, तो पदोन्नति द्वारा किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा। नियुक्ति प्राधिकारी, व्यक्तिगत मामलों में, अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से वह दिनांक, जब तक के लिये अवधि बढ़ाई जाय, विनिर्दिष्ट करते हुये परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है ;
परन्तु यह कि, आपवादिक स्थितियों को छोंड़कर परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई	परन्तु यह कि, आपवादिक स्थितियों को छोंड़कर परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

जायेगी और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी। (3) सुसंगत सेवा नियमावली में विहित प्रक्रिया के अनुसरण में किसी पद पर समायोजन, आमेलन या संविलियन द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को एक वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा। नियुक्ति प्राधिकारी, व्यक्तिगत मामलों में, अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से वह दिनांक, जब तक के लिये अवधि बढ़ाई जाय, विनिर्दिष्ट करते हुये परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है ; परन्तु यह कि, आपवादिक स्थितियों को छोड़कर परिवीक्षा अवधि छः माह से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी और किसी भी परिस्थिति में एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी। (4) जहां भर्ती का स्रोत केवल पदोन्नति है, किसी पद पर, यदि पद	जायेगी और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी। (3) सुसंगत सेवा नियमावली में विहित प्रक्रिया के अनुसरण में किसी पद पर समायोजन, आमेलन या संविलियन द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को एक वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा। नियुक्ति प्राधिकारी, व्यक्तिगत मामलों में, अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से वह दिनांक, जब तक के लिये अवधि बढ़ाई जाय, विनिर्दिष्ट करते हुये परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है ; परन्तु यह कि, आपवादिक स्थितियों को छोड़कर परिवीक्षा अवधि छः माह से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी और किसी भी परिस्थिति में एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

भिन्न सेवा या समूह का है, मौलिक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति को एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा। नियुक्ति प्राधिकारी, व्यक्तिगत मामलों में, अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से वह दिनांक, जब तक के लिये अवधि बढ़ाई जाय, विनिर्दिष्ट करते हुये परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है ;

परन्तु यह कि, आपवादिक स्थितियों को छोड़कर परिवीक्षा अवधि छः माह से अधिक और किसी भी परिस्थिति में एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी।

नियम 5 का प्रतिस्थापन

3. उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम 5 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

	स्तम्भ-1 **विद्यमान नियम**		**स्तम्भ-2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
परिवीक्षा जहां आवश्यक न हो	5-किसी व्यक्ति को परिवीक्षा पर रखना आवश्यक न होगा यदि उसे उसी समूह के किसी पद पर, जहां भर्ती का स्रोत केवल पदोन्नति है,	**परिवीक्षा जहां आवश्यक न हो**	5-किसी व्यक्ति को परिवीक्षा पर रखना आवश्यक न होगा यदि उसे किसी ऐसे पद पर पदोन्नत किया गया है, जहां

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

विहित प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात् नियमित आधार पर पदोन्नत किया गया है।	भर्ती का स्रोत केवल पदोन्नति है।

आज्ञा से,
राजीव कुमार
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।